...continued from previous page.

AVAILABILITY OF THE RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the section titled *"Risk Factors"* on page 27 of the RHP, before applying in the Offer. A copy of the RHP shall be available on website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of the Company at www.krosslimited.com and on the website of the BRLM, i.e. Equirus Capital Private Limited at www.equirus.com.

AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the abridged prospectus shall be available on the website of the Company, the BRLM and the Registrar to the Offer at www.krosslimited.com, www.equirus.com and www.kfintech.com, respectively.

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORMS: Bid cum Application Forms can be obtained from the Registered Office of **KROSS LIMITED**, Tel: +91 0657 2203812; **BRLM**: Equirus Capital Private Limited, Tel: +91 22 4332 0734 and at the select locations of the Sub-syndicate Members (as given below), SCSBs, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Offer. ASBA Forms will also be available on the websites of BSE and NSE and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchanges and SEBI.

Sub-Syndicate Members: Axis Capital Limited, HDFC Securities Limited, ICICI Securities Limited, Nuvama Wealth and Investment Limited, Sharekhan Limited

Syndicate Member: Equirus Securities Private Limited

Escrow Collection Bank and Refund Bank : HDFC Bank Limited

Public Offer Account Bank : Axis Bank Limited • **Sponsor Bank:** Axis Bank Limited and HDFC Bank Limited

UPI: UPI bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For **KROSS LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Debolina Karmakar
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Jamshedpur
Date: September 3, 2024

KROSS LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the RHP dated September 2, 2024 with the RoC and thereafter with the Stock Exchanges. The RHP will be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the websites of the Stock Exchanges, i.e., the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.krosslimited.com, and on the website of the BRLM, i.e., Equirus Capital Private Limited at www.equirus.com. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section entitled *"Risk Factors"* on page 27 of the RHP. Potential Biders should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision and instead should place reliance on the RHP.

This announcement does not constitute an offer of the Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and the Equity Shares may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933 or an exemption from registration. Any public offering of the Equity Shares to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, the Equity Shares are not being offered or sold in the United States.

Adfactors 300

Satin Housing Finance Ltd. — THE ANSWER IS HOME

सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

निगमित कार्यालय : भूखंड सं. 492, उद्योग विहार, फेज-3, गुरुग्राम, हरियाणा-122016
पंजीकृत कार्यालय : 5वां तल, कुंदन भवन, आजादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आजादपुर, नई दिल्ली-110033

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत। अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनायें 24–08–2024 निर्गत की थी, जिनमें निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं) (उक्त ''ऋणकर्ता(ओं)'') को उन्हें निर्गत संबंधित मांग सूचना(ओं), जिन्हें नीचे भी दिया गया है, में अंकित राशियों का, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त ऋणकर्ता(ओं) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवसों के अंदर सूचना दिनांकित 24–08–2024 में यहां इसमें निम्नांकित देय राशि का, उक्त ऋणकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य प्रलेखों/आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित ऋणानुबंध के अंतर्गत भुगतानयोग्य, निम्नांकित तिथि(यों) से लेकर के भुगतान एवं/अथवा वसूलीकरण की तिथि तक, उक्त मांग सूचना(ओं) में विवरणितानुसार भावी ब्याज के साथ भुगतान कर दें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उक्त ऋणकर्ता(ओं) द्वारा सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास बंधककृत किया गया है।

ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
महमूद खान पुत्र इब्राहिम खान (उधारकर्ता) **1. जरीबान पत्नी इब्राहिम खान** **(सह–उधारकर्ता)** **पताः** प्लॉट नंबर सी– 11 और सी– 12, अशोक विहार मालवीय नगर, 8वीं मंजिल, फ्लैट नंबर 803, मालवीय नगर एस.ओ. (जयपुर), जयपुर, राजस्थान, (भारत)–302017, फोन नंबर– 8696965636, **अन्य पता :** दिल्ली गेट केबहार, कालू खान किबड़ी, नागौर, राजस्थान	मांग सूचना तिथि : 24.08.2024 रु. 31,00,933 + रु. 20,39,045 = रु. 51,39,978/– (रुपये इक्यावन लाख उनतालिस हजार नौ सौ अट्ठहत्तर मात्र) 8.8.2024 के अनुसार	फ्लैट संख्या 803, जो प्लॉट संख्या सी–11 और सी–12 की आठवीं मंजिल पर, अशोक विहार, मालवीय नगर, जयपुर, निर्मित क्षेत्रफल 982 वर्ग फुट, में स्थित, निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– नंदपुरी योजना का प्लॉट, पश्चिम– प्लॉट संख्या सी–10, उत्तर– रोड, दक्षिण– अन्य का प्लॉट (दिनांक– 07.08.2018 को, बही सं. 1, खंड सं. 440, पृष्ठ सं. 9, क्र. सं. 201803018102828 के अंतर्गत पंजीकृत है)।
हरि राम सैनी पुत्र बुद्ध राम (उधारकर्ता) **1. आरती पत्नी हरि राम** **2. सरबती देवी पत्नी बुद्ध राम** **(सह–उधारकर्ता)** पता : बास नरबाद, अलवर, चतरपुरा, तहसील– बानसूर, राजस्थान–301024, फोन नं.–9785075016	मांग सूचना तिथि : 24.08.2024 रु. 8,02,795/– (रुपये आठ लाख दो हजार सात सौ पिचानबे मात्र) 8/8/2024 के अनुसार	खसरा क्रमांक 96 रकबा 0.3700 हेक्टेयर में स्थित भूखंड, माप 145.91 वर्ग गज, ग्राम बसनारबाद, तहसील– नारायणपुर, जिला– अलवर में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– प्लॉट निकास, सड़क, पश्चिम– दानकर्ता की भूमि, उत्तर– दानकर्ता की भूमि, दक्षिण– नंदा राम सैनी का मकान। (31.05.2022 को बही संख्या 1, खंड संख्या 25, पृष्ठ संख्या 36, क्रमांक 202203212100877 के अंतर्गत पंजीकृत है)।

यदि उक्त ऋणकर्तागण, उपर्युक्तानुसार सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को भुगतान करने में विफल होंगे, तो सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध, लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त ऋणकर्ताओं के संपूर्ण जोखिम पर अधिनियम की धारा 13 (4) और यथा लागू नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई करेगी। उक्त ऋणकर्ताओं को अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित अनुमति–सहमति के बिना उपर्युक्त परिसंपत्तियों का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उकसाता है उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा/अथवा अर्थदंड दिया जायेगा।

स्थान : गुरुग्राम — **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 03–09–2024 — **सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

ILD इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एमजीएफ हाउस, 4/17–बी,आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002
फोनः 011–41520070, फैक्स नंबरः 011–41503479,
वेबसाइटः www.indialease.com, ई–मेलः info@indialease.com
CIN:L74899DL1984PLC019218, GSTIN:07AAACI0149R1ZB

39वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई–वोटिंग और बुक क्लोज़र की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") **गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को दोपहर 12.30 बजे** पंजीकृत कार्यालय यानी एमजीएफ हाउस, 4/17–बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से कारोबार करने के लिए एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी, जैसा कि 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित किया गया है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 को एमसीए द्वारा इस संबंध में जारी अन्य पिछले परिपत्रों के साथ पढ़ें (सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र कहा जाता है) और सेबी द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 को सेबी द्वारा इस संबंध में जारी अन्य पिछले परिपत्रों के साथ पढ़ें (सामूहिक रूप से सेबी परिपत्र कहा जाता है) कंपनियों को 30 सितंबर, 2024 तक एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम बुलाने की अनुमति है। तदनुसार कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी ने 39वीं एजीएम की सूचना और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ–साथ 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण और अन्य वैधानिक रिपोर्टें 03 सितंबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से केवल उन सदस्यों को भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिनके ईमेल पते कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत हैं।

उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **www.indialease.com** पर "वार्षिक रिपोर्ट" अनुभाग **(https://www.indialease.com/AnnualReports23-24New.html)** के अंतर्गत और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** पर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध हैं।

सदस्य केवल VC/OAVM सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। VC/OAVM के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा। सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि एजीएम VC/OAVM द्वारा आयोजित की जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदानः

कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है और इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है। तदनुसार, एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके सदस्य द्वारा वोट डालने और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगीः

1. रिमोट ई–वोटिंग सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे शुरू होगी और बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति 25 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी और एक बार किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं, वे एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।
3. जिन सदस्यों के नाम "कट–ऑफ तिथि" यानी गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर या लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे केवल रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने या एजीएम में वोट करने के हकदार होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (RTA) के पास **rta@alankit.com** पर ईमेल भेजकर पंजीकृत करवा लें।

बुक क्लोज़र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक एजीएम के उद्देश्य से शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 से गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

ई–वोटिंग की प्रक्रिया 39वीं एजीएम के नोटिस के नोट्स के साथ–साथ सदस्यों को भेजे गए ईमेल में भी उपलब्ध है। ई–वोटिंग के संबंध में यदि कोई प्रश्न/शिकायत है, तो उसे **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ईमेल के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है या 18002109911 पर कॉल किया जा सकता है।

बोर्ड के आदेश से
इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड के लिए
रोहित मदान
प्रबंधक, कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी और सीएफओ
एसीएस – 13636

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 03 सितंबर, 2024

BANSAL

बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L31300DL1985PLC022737
पंजीकृत कार्यालयः एफ–3, मेन रोड शास्त्री नगर, दिल्ली–110052
फोनः 011–23651891/92/93
ई–मेलः investorrelations@bansalwire.com; **वेबसाइटः** www.bansalwire.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 19/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, परिपत्र संख्या 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022, परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों ("अधिनियम") तथा इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई 2022, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD&2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023 और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD&PoD&2/P/CIR/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर 2023 (इसके बाद "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 01:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन किया जा सके। 39वीं एजीएम का अनुमानित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। चूंकि 39वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की कार्यक्रम स्थल पर भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 39वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना, नियत समय में, केवल उन सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनका ई–मेल पता उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के पास पंजीकृत है। चूंकि कंपनी की संपूर्ण शेयरधारिता डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में है, इसलिए सदस्य एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 के लिए 05 सितंबर, 2024 से पहले संबंधित डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल–आईडी अपडेट कर सकते हैं। वार्षिक रिपोर्ट (एजीएम की सूचना सहित) की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को उपर्युक्त परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, कोई सदस्य हमें investorrelations@bansalwire.com पर लिखकर इसकी हार्ड/सॉफ्ट कॉपी की मांग कर सकता है। 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.bansalwire.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

वोट डालने और एजीएम में भाग लेने का तरीका

सभी सदस्यों को 39वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग (39वीं एजीएम से पहले) और ई–वोटिंग (39वीं एजीएम के दौरान) की सुविधा प्रदान की जाएगी। रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश 39वीं एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 39वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश 39वीं एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे।

कंपनी ने ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। ई–वोटिंग के बारे में किसी भी प्रश्न के मामले में सदस्य 022–4886 7000 पर एनएसडीएल की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे से संपर्क कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं या कंपनी के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को investorrelations@bansalwire.com पर ई–मेल लिख सकते हैं।

ई–मेल पता और अन्य विवरण पंजीकृत/अपडेट करने का तरीका

डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ई–मेल पते, बैंक खाते, डाक पते में परिवर्तन और मोबाइल नंबर आदि के विवरण अपने संबंधित डीपी के पास पंजीकृत/अपडेट करें। डीपी के पास पंजीकृत ई–मेल पते का उपयोग सभी संचार भेजने के लिए किया जाएगा।

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है।

बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरकर्ता/–
सुमित गुप्ता
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दिनांकः 03 सितंबर, 2024
स्थानः नई दिल्ली

---

fabindia — CELEBRATE INDIA

फैबइंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. : 10, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर बी पॉकेट–7, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070,
हेड ऑफिस : सी–40, दूसरा फ्लोर, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेस–II, नई दिल्ली–110020
फोन : +91-11-40692000, (CIN) : U74899DL1976PLC008436
ई–मेल : mailus@fabindia.net, वेबसाइट : www.fabindia.com

47वीं वार्षिक आम बैठक और ई–वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि

1. फैबइंडिया लिमिटेड ('कंपनी') की 47वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2024 को प्रातः 11.30 बजे (आईएसटी) सी–42, दूसरा तल, गेट नं. 1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज–2, नई दिल्ली–110020 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम के आयोजन की सूचना दिनांक 21 अगस्त 2024 में निर्धारित कामकाज का निष्पादन किया जाएगा।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पठित उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में अन्य बातों के साथ–साथ ई–वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति का विवरण (एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के साथ ही एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान) की प्रक्रिया से संबंधित विवरणों के साथ एजीएम के आयोजन की सूचना उन सभी सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से भेजी गई है जिनके ई–मेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत हैं और उन सदस्यों के संबंध में जिनके ई–मेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, सूचना की भौतिक प्रति स्वीकार्य माध्यम से सर्विस मोड द्वारा भेजी गई है । एजीएम के आयोजन की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.fabindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। 30 अगस्त, 2024 को या तो भौतिक प्रारूप या डीमैटरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण को एजीएम के आयोजन की सूचना भेजी गई है। उक्त सूचना भेजने का कार्य दिनांक 3 सितम्बर, 2024 को पूरा हो गया है।
3. सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार कंपनी ने एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों के संबंध में सभी सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पद्धति और एजीएम में बैलेट पेपर द्वारा अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की है। रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी
4. कट–ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 19 सितम्बर, 2024 को भौतिक प्रारूप में या डीमैटरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावित संकल्पों पर रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। डीमैटरियलाइज्ड प्रारूप या भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए रिमोट ई–वोटिंग का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है।
5. रिमोट ई–वोटिंग सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी और बुधवार, 25 सितम्बर, 2024 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान भौतिक प्रारूप में या डीमैटरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होगी। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा 25 सितम्बर, 2024 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) हटा दिया जाएगा।
6. सदस्यगण कृपया नोट करें कि:
   क) एजीएम में बैलेट पेपर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में उपस्थित उन सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, केवल वे ही बैलेट पेपर के माध्यम से एजीएम में मतदान करने के लिए पात्र होंगे;
   ख) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे; और
   ग) एक व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 19 सितम्बर, 2024 को व्यावसायिक घंटों के समापन पर कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल है, केवल वे ही रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से वोट की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा;
   घ) कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अधिग्रहित करता है और एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात् 19 सितम्बर, 2024 को शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति ई–वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह वोट डालने के लिए अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है;
   ङ) कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री अरुण कुमार गुप्ता, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 5551 जिनके पास प्रैक्टिस प्रमाणपत्र संख्या: 5086 हैं) को रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया है । मतदान का परिणाम एजीएम के समापन के 3 दिनों के भीतर घोषित किया जाएगा और इसे समेकित संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट (www.fabindia.com) एवं एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर प्रकाशित किया जाएगा जाएगा। परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के साथ–साथ कॉर्पोरेट कार्यालय में भी प्रदर्शित किए जाएंगे।
7. सदस्यगण जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे श्री दिनेश कुमार जैन, कंपनी सचिव एवं मुख्य विधिक एवं अनुपालन अधिकारी से फोन नं. +91 8448838559 या dinesh.jain@fabindia.net पर या stakeholders@fabindia.net पर संपर्क करके कंपनी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराएं।
8. ई–वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल को अवलोकन कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं । विकल्पतः सदस्यगण सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से evoting@nsdl.com पर संपर्क कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते फैबइंडिया लिमिटेड
हस्ता/–
दिनेश कुमार जैन
कम्पनी सचिव और मुख्य विधिक एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. एफसीएस–6224

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 03.09.2024

मांग सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 (1) के साथ पठित . उक्त नियमों के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) (जिसे पहले इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्राधिकृत अधिकारी ने जारी किया है। उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस, उधारकर्ता को जारी किए गए संबंधित मांग सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए निगर्त करता हैं। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर उधारकर्ता को नोटिस दिया जाता है कि वह इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर नीचे दी गई राशि का भुगतान . डिमांड नोटिस की तारीख से आगे के ब्याज के साथ करें। उधारकर्ता का विवरण, डिमांड नोटिस की तिथि पर देय राशि और ऋण राशि के पुनर्भुगतान के